

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 23, 2026

संख्या एफ 38(11)चिस्वा./गुप-3/2026 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 ऑफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त 03 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मूल पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित कर्मिकों की नियमित नियुक्ति होने तक कार्य व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 ऑफ 2006) की धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.स.	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1	श्री सुभाष राजोरा	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
2	श्री रोहित कुमार शर्मा	लैब टेक्नीशियन
3	डॉ राजेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन

उक्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तों के अधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार/ विभाग का होगा अर्थात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगे।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूलपद के वेतनमान पर ही राजकार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय नहीं होगा।
3. अधिसूचित विभागीय कर्मचारी के विरुद्ध कार्य में लापरवाही/शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे कर्मिकों को प्रदत्त खाद्य शक्तियां प्रत्याहरित कर मूल पद पर कार्यमुक्त कर मूल विभाग में भिजवा दिया जाएगा।

राकेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।